

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक- जी-142सीएसी/08-1009सीएसी/2006

दिनांक 01-01-2009


- | | |
|---|---|
| 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, | 4-समस्त रुम्बर्रीक्षा अधिकारी, |
| 2- समस्त नवः प्रबन्धक, | 5-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो), |
| 3- समस्त महायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), | उ0प्र0 परिवहन निगम । |

विषय-राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षको को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा-सुविधा सीमा वृद्धि के संबंध में।

कृपया परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या-जी-79 सीएसी/2005-430सीएसी/93-11 दिनांक 05-10-2005 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षको को निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त परिवय-पत्र व निदेशक, बेसिक द्वारा उपलब्ध कराये गये किमी0 कूपन के आधार पर 1000 किमी0 प्रतिवर्ष परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा-सुविधा प्रदान कराये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये थे।

उक्त संदर्भ में नवीन शासनादेश संख्या-1422/15-11-08-5(7)/04-टीसी दिनांक 10.12.2008 के द्वारा 1000 किमी0 प्रतिवर्ष की सीमा को बढ़ाकर 4000 किमी0 प्रतिवर्ष किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि अब राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षको को प्रतिवर्ष 4000 किमी0 की निःशुल्क बस यात्रा-सुविधा प्रदान करायी जाय। इस संबंध में अन्य नियम व शर्त यथावत् रहेंगी।


कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कराना सुनिश्चित करें, तथा संबंधित अधिकारियों /कर्मचारियों को उक्त निर्देश अनुपालनार्थ नोट भी कराये।


(एम0वी0एस0 रामी रेड्डी)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक- सम्संख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- समस्त अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी-कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- समस्त यातायात अधीक्षक /यातायात निरीक्षक, उ0प्र0 परिवहन निगम ।


(एम0वी0एस0 रामी रेड्डी)
प्रबन्ध निदेशक